

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी
पत्रांक 398 (अनु०) मोतिहारी, दिनांक 25/04/2023

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, मोतिहारी।

अनु०
25/04/23
सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, ढाका

विषय :- कार्य प्रमंडल ढाका के अधीन MR-3054 (NMP-2018) अन्तर्गत पथ के प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

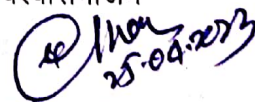
प्रसंग :- आपका पत्रांक- 510 अनु० दिनांक-24.04.2023
महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसांगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्राक्कलन को, जाँचोपरान्त निम्नलिखित पथ के सामने अंकित राशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए इस शर्त के साथ लौटाया जाता है कि :-

क्र.सं	पथ का नाम	लम्बाई (कि.मी.में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (लाख में)
1.	Inarwa Phulwar to Phulwar tak	1.000	64.006	67.915
2	Bankatwa Inarwa Phulwar to Majirwa Britti tal (Khairwa ward No.-8)	0.932	60.008	64.174

2. बिहार सरकार, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक- 1970 दिनांक-31.03.2023 के द्वारा उक्त पथ का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है।
 3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच कार्यपालक अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो अंचल कार्यालय को सूचित करेंगे।
 4. समर्पित किए गए तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बन्धित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
 5. कार्यपालक अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी अंचल कार्यालय को प्रत्येक माह के 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 6. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गई है।
 7. कार्यपालक अभियंता प्राक्कलन में अन्तरविष्ट मात्रा की सम्पुष्टि कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।
- अनु०- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति ।

विश्वासभाजन


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, मोतिहारी

प्रावैधिक टिप्पणी

परियोजना का नाम :- शीर्ष MR-3054 (NMP-2018) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल ढाका के अधीन पथ निर्माण कार्य (पत्र के साथ संलग्न पथ की विवरणी) के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- बिहार सरकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के पत्रांक- 1970 दिनांक-31.03.2023 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

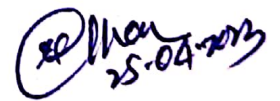
तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मोतिहारी के पत्रांक- दिनांक- के द्वारा संलग्न सूची के अनुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
3. कार्यारम्भ करने से पहले कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार (Water ways) की जिम्मेवारी पूरी तरह से कार्यपालक अभियंता की होगी।
4. औपबंधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी :-
प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
5. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व पथ के सतह का प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे
6. पथ निर्माण के लिए निम्नांकित विशिष्टियां अपनायी गयी है :-

1	मिट्टी सेक्शन के अनुसार	2	जी0एस0बी0 100-200 एम0एम0 संपीडित
3	WBM Grade III 75 mm	4	कंक्रीट पेभमेंट 160 एम0एम0
5	MSS	6	
7		8	

7. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
8. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।

9. स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में एम0ओ0एस0टी0 भारत सरकार के विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
10. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात कार्यपालक अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात् ही क्रस्ट कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
11. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाए।
12. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रेडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
13. निविदा आमंत्रण / निष्पादन में योजना की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
14. प्राक्कलन के अनुसार पथ की उँचाई कम न हो सके इसकी जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता, की होगी।
15. कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी तरह से विभागीय नियमों का उल्लंघन न हो।
16. स्वीकृत कार्य के विरुद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य से लागत से नियमानुकूल घटा ली जाये।
17. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
18. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।
19. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें कि एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।
20. गुणवत्ता की जाँच विभाग के द्वारा गुण-नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन-II के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
21. पूर्व में कराये गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
22. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
23. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एम0ओ0एस0टी0 के अनुरूप हो।
24. यंत्र-संयंत्र की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण पत्र देंगे।
25. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी आंकड़ों चको स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।

 25.04.2013

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, मोतिहारी